	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 29, गुरूवार, शाके 1943-अक्टूबर 21, 2021 *Asvina 29, Thursday, Saka 1943- October 21, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 20, 2021

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2012पार्ट1 :-यत राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) एवं (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.10.2021 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 20.10.2021 से आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 20.10.2021 से आगामी तीन माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

9763

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।